

२२.०५.१८

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० उप०।

आरोपी नाहर सिंह न्यायिक निरोध से उपजेल गोहद से पेश नहीं केवल जेल वारंट प्राप्त, की ओर से अधिवक्ता श्री आर०पी०एस० गुर्जर उपस्थित।

प्रकरण आज उपापण हेतु नियत है।

आज दिनांक को उपापण पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

उपापण पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र मालनपुर द्वारा अपराध क्रमांक 38/18 अंतर्गत धारा 323, 506 एवं 376 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोपी नाहर सिंह के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 323, 506 एवं 376 के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है आरोपी पर आरोपित अपराध अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः प्रस्तुत प्रकरण द.प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर सादर उपापित किया जाता है।


आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में एफ०एस०एल० रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकरण में आरोपी नाहर सिंह जमानत पर हैं। अतः आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तिथि दिनांक 04.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उपस्थित रहें।

उपापण की सूचना मालखाना नाजिर एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित किये जावे।


(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जे०एम०एफ०सी०, गोहद